

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 180

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02315

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "बिमल एवेन्यू", प्रमोटर-बी.के. डेव्हलपर्स, द्वारा-श्री बिमल कुमार अग्रवाल, पता-बिमल चेम्बर्स, 79 जल विहार कॉलोनी, जिला-रायपुर (छ.ग)
प्रोजेक्ट-"बिमल एवेन्यू" पता-अमलीडीह, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
27/03/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "बिमल एवेन्यू" पंजीयन क्रमांक-PCGRERA160718000542 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनांक 16.07.2018 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनांक 31.12.2018 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा-59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है।</p> <p>रजिस्ट्रार, छ.ग. द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 14.12.2023 के अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 11.03.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट को विकसित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी से दिनांक 09.09.2019 को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। किन्तु अनावेदक द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र को प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। अनावेदक का उक्त कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा-59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 180

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02315

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "बिमल एवेन्यू", प्रमोटर-बी.के. डेव्हलपर्स, द्वारा-श्री बिमल कुमार अग्रवाल, पता-बिमल चेम्बर्स, 79 जल विहार कॉलोनी, जिला-रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"बिमल एवेन्यू" पता-अमलीडीह, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्राधिकरण द्वारा धारा-59 अंतर्गत रूपये 1,000/- शास्ति अधिरोपित की जाती है। अनावेदक, एक माह के भीतर शास्ति की राशि निर्धारित शासकीय मद में जमा करना सुनिश्चित करे। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत अनावेदक को भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देते हुये प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p> <ul style="list-style-type: none">- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। <p style="text-align: center;">सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p style="text-align: center;">सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	